IJAER/July-August 2024/Volume-13/Issue-4 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

# जनपद मेरठ के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण क्षमता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

- सचिन कुमार गुप्ता, शोधकर्ता, ग्लोकल स्कूल ऑफ एजुकेशन, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
- डॉ0 पूनम लता मिड्ढ़ा, (प्रोफेसर), शोध निर्देशिका, ग्लोकल स्कूल ऑफ एजुकेशन, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी मिर्जापुर पोल, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)

**सार–**

शिक्षा की किसी भी प्रणाली में अध्यापकों की व्यवसायिक तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस संबंध में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम और अध्यापक प्रशिक्षण दोनों अभिव्यक्तियां एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं जबकि अध्यापक शिक्षा का अर्थ अधिक व्यापक है। प्रशिक्षण का निहितार्थ यह है कि अध्यापकों को अध्यापन में व्यवसायिक कौशल के लिये ही तैयार नहीं होना बल्कि उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व में विकास को सुनिश्चित करना है। जिसके लिये उसके मानसिक और संवेगात्मक विकास, अभिव्यक्ति निर्माण पर भी ध्यान दिया जाना हैं और समय– समय पर उसका उचित अभिविन्यास किया जाना है। प्रत्येक अध्यापक के लिये प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षित अध्यापक अप्रशिक्षित अध्यापक की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। व्यवसाय की मांग उद्देश्य तथा अध्यापक से अपेक्षाएं, अध्यापक प्रशिक्षण के अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं। सूचनाओं का प्रभावी ढंग से छात्रों तक प्रशिक्षण कई कौशलों पर निर्भर करता है। जैसे प्रश्न पूछने का कौशल, स्पष्टीकरण, प्रदर्शन तथा व्याख्या। दूसरे कौशल जिनकी आवश्यकता संचार में होती है। विषय वस्तु का व्यवस्थापन एवं उनके तर्कपूर्ण श्रृंखला वाहय प्रस्तुतीकरण, ये कौशल अथवा अभिव्यक्ति की प्राप्ति के लिये प्रणाली बद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। और इसके लिये अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। अध्यापक प्रशिक्षण के कुछ सैद्धांतिक आधार हैं। प्रशिक्षण के द्वारा वह अपने छात्रों तथा अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करता हैं। इसलिये प्रत्येक प्रकार के शिक्षक के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

**प्रस्तावना–**

आधुनिक परिवर्तनशील युग में "शिक्षा" समाज में परिवर्तन लाने का मुख्य अस्त्र है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। शिक्षक की सहायता के बिना शिक्षण प्रक्रिया को सफल नहीं बनाया जा सकता है। शिक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिये शिक्षक और शिक्षार्थी में उपयुक्त सम्बन्ध होना अति आवश्यक है। शिक्षण को सफल बनाने के लिए ही शिक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। एक कुशल एवं प्रशिक्षित अध्यापक ही अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने छात्रों का उचित मार्गदर्शन कर सकता है। शिक्षा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन का यथार्थ समझ सकता है और उसे मोक्ष प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है।

शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा के तीन प्रमुख अंग हैं–

शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय सामग्री, जिनमें शिक्षक का प्रमुख स्थान है। शिक्षक के बिना ज्ञानार्जन सम्भव नहीं है। अध्यापक ही शिक्षण प्रक्रिया को सही दिशा की ओर मुखरित कर सकता है। अध्यापक बालकों की अनेक समस्याओं का निराकरण कर सकता है इसलिये शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता माना जाता है।

प्राचीन काल से ही अध्यापक समाज में शीर्षस्थ स्थान पर प्रतिठित रहा है। इस पृथ्वी पर जब से मनुय ने अपने जीवन को एक सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से जीना प्रारम्भ किया है तब से ही समाज में शिक्षक या अध्यापक के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। प्राचीन काल में शिक्षकों को गुरू या आचार्य आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था। आज भी अध्यापक का सम्मान या महत्व उतना ही है जितना वैदिक काल से आधुनिक काल तक रहा। इस पृथ्वी पर जितना अभिनन्दन इस वर्ग का किया गया है, उतना किसी अन्य का नहीं। समग्र विश्व ने उसे मार्गदर्शक, आदरणीय ज्ञान पुंज समाज रचियता एवं पूज्य माना है और ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताया है।

अध्यापक के महत्व को कबीर ने इस प्रकार लिखा हैः–

*गुरू गोविन्द दोउ खड़े काके लागू पाय,*
*बलिहारी गुरू आपने गोविन्द दियो बताय।*

अध्यापक में ब्रह्मा के समान श्रष्टा के गुण, विष्णु के समान पोषण कर्ता के गुण और शिव के समान कल्याणकर्ता के गुण निहित हैं।

संस्कृत का निम्नलिखित श्लोक अध्यापक के इन्हीं गुणों की ओर इंगित करता है।

*गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णु गुरू देवो माहेश्वराः।*
*गुरू साक्षात पर ब्रह्मां तस्मै श्री गुरवे नमः।।*

यद्यपि माता–पिता बालक के स्थूल शरीर के जन्मदाता होते हैं परन्तु इस आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जीवन का सर्जन अध्यापक के द्वारा ही सम्भव है। इस प्रकार अध्यापक एक स्रष्टा है। बालक के जीवन को वात्सल्य से सिंति कर तथा ज्ञान की ज्योति से अनुप्रभावित कर उसके भविष्य को सुगम बनाकर अध्यापक पोषणकर्ता के दायित्वों को पूर्णतः निर्वाह करता है। उसकी बुराईयों को दूर करके उसे आदर्श प्रदान कर उसे खरा सोना बना देता है।

सरजॉन एडम्स के शब्दों में :–

*"अध्यापक मानव का निर्माणकर्ता है।"*

डॉ0 सम्पूर्णानन्द के शब्दों में :–

"अध्यापक का समाज में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी बौद्धिक परम्पराओं का स्थानान्तरण करता है। वह केवल व्यक्तियों को ही रास्ता नहीं दिखाता अपितु सारे राष्ट्र को दिशा बोध देता है।"

जनतन्त्र की सफलता के लिए राष्ट्र की विचारधारा और जीवनधारा दोनों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जिसका एकमात्र माध्यम शिक्षा ही है। अध्यापक विलय तथा शिक्षा की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति है। यह सत्य है कि विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाऐं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। परन्तु जब तक उनमें अच्छे अध्यापकों द्वारा जीवन शक्ति नहीं फूंकी जायेगी वे निर्थक हैं। अध्यापक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली संहतियों पर अपना प्रभाव डालती हैं।

उच्चकोटि के विचारक दार्शनिक एवं शिक्षाविद भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ0 राधाकृष्णन जिन्होंने अपनी जीवन की शुरूआत एक अध्यापक के रूप में ही प्रारम्भ की थी अध्यापक के महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि–

"समाज में अध्यापक का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बौद्धिक परम्पराओं एवं प्रावैधिक ज्ञान के संचार के लिए एक क्षेत्र के रूप में कार्य करता है तथा सभ्यता की ज्योति को जलो रखने में सहायक सिद्ध होता है। वह न केवल व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है वरन् राष्ट्र के भाग्य का निर्माता भी है।"

अध्यापक वह अज्ञात व्यक्ति है जो नवयुवकां का मार्गदर्शन करता है किन्तु स्वयं अप्रसिद्धि में रहकर कठिनाइयों में सन्तोष करता है।

भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अध्यापक दिवस पर संदेश देते हुए कहा था कि देश का कल्याण अध्यापक पर ही निर्भर है। अध्यापक ही हमारे देश के संरक्षक हैं।

आज इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि अध्यापक ही पुर्ननिर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी है। यह अधयपक वर्ग की योग्यता है जो कि निर्णायक है। अध्यापक किसी राष्ट्र के भाग्य विधाता होते हैं। उनकी योग्यता कार्यकुशलता तथा चरित्र पर ही किसी राष्ट्र का भाग्य या भविष्य निर्भर करता है।

किसी राष्ट्र की शिक्षा योजना कितनी भी सुव्यवस्थित क्यों न हो यदि वहाँ के अध्यापकों में अपने प्रति जागरूकता नहीं तथा समाज उनके पद को महत्व नहीं देता है तो वह योजना कभी सफल नहीं हो सकती।

आज का आधुनिक युग एक प्रगतिशील एवं विकासशील देश का निर्माण करने के लिए हर क्षेत्र में मशीनीकरण कर देश को विकासशील बनाने का प्रयत्न कर रहा है। किन्तु आज भी शिक्षा प्रक्रिया में अध्यापक का वही सम्मानीय तथा महत्वपूर्ण स्थान है।

कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षक के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया। बिना कुशल प्रशिक्षित अध्यापकों के शिक्षा में सुधार लाना सम्भव नहीं है।

कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार "अध्यापक शिक्षा को शिक्षा के विकास की कुंजी मानना चाहिये।"

कोठारी आयोग ने अध्यापकों की व्यवसायिक शिक्षा के महत्व के बारे में लिखा है "शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों का व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है।"

**प्रशिक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–**

अध्यापक शिक्षा पर विचार करने हेतु हमें अपने देश की अध्यापक शिक्षा पर दृष्टि डालना अत्यन्त आवश्यक है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो भी शिक्षा के प्रयास किये गए हैं, या उनमें जो भी सुधार हुए हैं, उन सबका वर्णन हम प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक युग की अध्यापक शिक्षा के आधार पर करेंगें।

**(1) प्राचीन काल में प्रशिक्षण का स्वरूप और दशा**

प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों को ही प्राप्त था। अतः शिक्षकों के पास छात्रों की संख्या कम होने से वे उन पर व्यक्तिगत ध्यान देते थे। परन्तु कुछ शिक्षकों की प्रसिद्धि के कारण उनके पास छात्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से निर्देशन करना सम्भ नहीं था। अतः कुशल छात्रों द्वारा शिक्षण कार्य में सहायता प्राप्त की जाती थी। इस सम्बन्ध में डॉ0 श्रीधर नाथ मुखोपाध्याय का कथन है–

**"आचार्य या गुरू सबसे ऊपर के वर्गो के छात्रों को पढ़ाते थे। ये विद्यार्थी अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को सिखाते थे और वे अपने से नीचे वालों को।"**

उच्च कक्षा के अग्रिम छात्रों या नायकों द्वारा निम्न कक्षाओं के छात्रों को शिक्षा देने की यह प्रणाली **कक्षानायक** पद्धति कहलाती थी।

उस पद्धति में नायक का अग्रिम छात्र शिक्षण कार्य करते–करते समय के साथ–साथ कुशल अध्यापक और विद्यालय संचालक बन जाते थे। और भविष्य में शिक्षण कार्य में महारत प्राप्त कर लेते थे। **प्राचीन भारत में इसी को शिक्षक प्रशिक्षण का अप्रत्यक्ष प्रारम्भ माना जाता है।**

**(2) मध्यकाल में प्रशिक्षण का स्वरूप और दशा**

भारत में मध्यकाल को शिक्षा का अंधकार पूर्ण युग माना जाता है। अकबर को छोड़कर अन्य किसी भी मुस्लिम शासक ने इस काल में शिक्षा के प्रति अपनी रूचि नहीं दिखाई। इस काल में शिक्षक प्रशिक्षण की कोई योजना नहीं थी। हिन्दू–मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। मुस्लिम शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान था। शिक्षकों को वाद–विवाद की क्षमता, लेखन शैली, निपुर्णता आदि गुणों के आधार पर उन्हें शासकों का संरक्षण प्राप्त था।

मुस्लिम काल में अध्यापकों का कार्यभार मुल्ला या मौलवी पर था। अध्यापन कार्य प्रायः वंशागत था। भारत में वैदिक काल से लेकर 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक शिक्षक प्रशिक्षण की यदि कोई विधि थी तो वह "कक्षा नायकीय" पद्धति थी।

**(3) आधुनिक काल में प्रशिक्षण स्वरूप और दशा**

आधुनिक काल में अध्यापक प्रशिक्षण का काफी विकास हुआ। भारत में 19वीं सदी तक **कक्षा नायक पद्धति** का प्रचलन था। समय के साथ–साथ पद्धति में सुधार हुआ और अध्यापक शिक्षा की आधुनिक व्यवस्था की जाने लगी।

डॉ0 कोरे ने प्राथमिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों के लिए **श्रीरामपुर** में सबसे पहला दीक्षा विद्यालय स्थापित किया इसके बाद इसी के आधार पर अन्य अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों में शिक्षण पद्धति पर बल न देकर विषय वस्तु के ज्ञान पर ही अधिक बल दिया जाता था।

**वुड का घोषणा पत्र और अध्यापक शिक्षा**

वुड के घोषणा पर 1854 में कम्पनी के संचालकों ने यह बात स्पट की कि भारत में प्रत्येक प्रांत में अतिशीघ्र अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करके छात्राध्यापकों छात्रवृत्तियाँ और शिक्षकों को अधिक वेतन देकर शिक्षा विभाग को भी अन्य राजकीय विभागों के समान आकर्षक बनाया जाये।

1859 में वुड घोषणा पत्र के आधार पर ही शिक्षक प्रशिक्षण की ओर विशो ध्यान दिया गया। शासन द्वारा अनुदान प्रणाली में सुधार करके प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन हेतु विद्यालयों को अतिरिक्त अनुदान दियया गया। मुम्बई, कलकत्ता, पूना, सूरत, आगरा, मेरठ तथा बनारस में दीक्षा विद्यालय स्थापित किये गये। सन् 1882 ई0 में भारत में कुल **156** दीक्षा विद्यालय थे परन्तु माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु सिर्फ 2 प्रशिक्षण महाविद्यालय थे।

**विभिन्न आयोगों के अनुसार अध्यापक शिक्षा**

**राधा कृष्णन कमीशन**–"आज के युग का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि वास्तविक शिक्षा एवं व्यतीत किये जाने वाले जीवन एवं उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने का नाम है।"

**मुदालियर कमीशन–**"हम यह भली–भांति समझ गये हैं कि विचारयुक्त शैक्षिक पुर्ननिर्माण में सर्वाधिक महत्व शिक्षक का है और उसके व्यक्तिगत गुण उसकी शैक्षणिक योग्यतायें, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं समाज में स्वयं उसके द्वारा प्राप्त स्थान महत्वपूर्ण हैं।"

आयोग का यह विश्वास था कि वह माध्यमिक शिक्षा की जिस नवीन संरचना को भारत में देखना चाहता है वह बिना प्रशिक्षित अध्यापकों के सम्भव नहीं है। 1882 ई0 में नियुक्त हंटर कमीशन का यह सुझाव था कि कम से कम एक दीक्षा स्कूल प्रत्येक निरीक्षक के अधीन क्षेत्र में होना चाहिए। इसलिए इसके बाद माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

1913 ई0 में अध्यापक प्रशिक्षण का महत्व काफी बढ़ा। 1922 ई0 में दीक्षा स्कूलों की संख्या 10,022 हो गई, जिनमें 27,000 अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा थी और साथ ही साथ स्नातकों के लिए प्रशिक्षण महाविलय की संख्या 8 स बढ़कर 13 हो गई।

1947 ई0 तक माध्यमिक विद्यालयां के अध्यापकों के प्रशिक्षणार्थ 34–अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय तक 199 महिला दीक्षा स्कूल थे जिनमें 10193 प्रशिक्षणार्थी छात्रायें थीं।

1947 ई0 के बाद शिक्षा का तीव्र गति से विकास हुआ। देश की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए योग्य एवं आदर्श शिक्षकों की आवश्यकता थी। शिक्षा विकास की दृष्टि से शिक्षकों के प्रशिक्षण का शिक्षा क आधार पर अनुभव किया गया जिससे राष्ट्र के लिए अधिकाधिक उपयोगी और आदर्श नागरिक तैयार किये जा सकें।

प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा 1952–53 में देश में दो प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया–

(1) प्रथम वे प्राथमिक तथा मिडिल या जूनियर हाई स्कूल के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दे। इनमें प्रवेश की शैक्षिक योग्यता हायर सेकेण्ड्री तथा प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष रखी गई।

(2) दूसरे प्रकार की वे संस्थायें स्नातकों को प्रशिक्षण दें। इसमें प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष रखी गई। आयोग ने यह भी सुझा दिया कि स्नातक शिक्षा विद्यालयों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या मान्यता प्राप्त होने चाहिए।

**स्वतंत्र भारत में शिक्षक शिक्षा**

स्वतंत्र भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास के साथ–साथ प्रशिक्षण संस्थाओं, प्राक्षिण विद्यालयों एवं प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। स्वतन्त्र भारत में प्रशिक्षित अध्यापकों की वृद्धि के साथ–साथ उनमें गुणात्मक सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया, इसके लिये निम्न प्रयास किये गये–

- पाठ्यक्रम पुनः अभिनव तथा परीक्षा सुधार।
- शिक्षक विद्वानों के लिये अभिनव प्रशिक्षण का प्रावधान।
- सघन कार्यक्रम का प्रावधान।
- प्रसार सेवा विभाग की स्थापना।
- शिक्षकों का विस्तार।
- शिक्षक शिक्षा में शोध–प्रयोग व नवीन पद्धतियों को प्रोत्साहन।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा पुर्नगठित कार्यरत।

**विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग एवं अध्यापक शिक्षा**

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948–49 ने अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दि–

- शिक्षा महाविद्यालयों में पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर अध्यापन पर आंशिक बल।
- शिक्षा सिद्धान्त के पाठ्यक्रम का लचीला और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाय जाये।
- अध्यापन अभ्यास उपयुक्त विद्यालय मं ही कराया जाये।
- पर्याप्त शिक्षण अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही एम0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाये।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और शिक्षक प्रशिक्षण**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए निम्न सुझा दिया–

- प्रथम उपाय में शिक्षक शिक्षा प्रणाली की पूरी तरह से जाँच की जाये।
- शिक्षकों की शिक्षा के नये कार्यक्रमों में सतत् शिक्षा पर न्यूटन शिक्षा नीति की नई दिशाओं के आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल होगा।

- जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जायेंगें और निम्न स्तरीय संस्थायें समाप्त कर दी जाएगी।
- उपरोक्त संसाधनों में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकोंको अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
- कुछ चुने हुए माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों का स्तर बढ़ाया जायेगा ताकि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के पूरक के रूप में कार्य कर सकें।
- शिक्षक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद को संसाधन उपलब्ध कराये जाएगें। जिससे यह परिषद अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं को मान्यता देने के लिए अधिकारिक हो और उनके शिक्षा की पद्धतियों के बारे में मार्गदर्शन कर सकें।
- अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग में आपस में मिलकर काम करने की व्यवस्था की जाएगी।

**शिक्षक प्रशिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा**

प्रायः शिक्षण का अर्थ बालक को शिक्षा के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना समझा जाता है परन्तु "शिक्षण" शब्द के अर्थ के प्रति यह धारणा पूर्णतः सत्य नहीं है। शिक्षण के व्यापक अर्थों में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन और व्यवसाय से अपने वातावरण से अनुकूलन करता है। शिक्षण को एक त्रिमुखी प्रक्रिया बताते हुए **रायबर्न** ने लिखा है–

**"शिक्षा के तीन केन्द्र बिन्दु हैं–शिक्षक, बालक और विषय। शिक्षण इन तीनों में ही स्थापित किया जाने वाला सम्बन्ध है।"**

अतः शिक्षण वह त्रिमुखी प्रक्रिया है जो शिक्षक, बालक और विषय में सम्बन्ध स्थापित करती हैं जब तक ये उपस्थित नहीं होते हैं तब तक शिक्षण की प्रक्रिया सम्भव नहीं हो पाती।

**शिक्षण सूत्र**

शिक्षण कार्य में कलात्मकता बनाये रखने के लिए छात्रों को पढ़ायी जाने वाली वस्तु उन्हें भली भांति हृदयोगम हो जाये उनके उत्साह में कोई कमी न परिलक्षित होने पाये इसके लिए शिक्षाविदों ने कुछ शिक्षण सूत्रों का निर्माण किया था। इन शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करके शिक्षक अपने कार्य में आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

शिक्षक महान गुणी, योग्य तथा विषय ज्ञाता भले ही हो, किन्तु जब तक वह अपने ज्ञान को बालकों तक नहीं पहुँचाता तब तक उसके ज्ञान से बालकों को कोई लाभ नहीं होता। शिक्षक अपने कार्य में कैसे सफल हो, ज्ञान देने के लिए कोई कला या विधि अवश्य होनी चाहिये, जिसके अनुसरण से शिक्षक अपने विषय को विद्यार्थियों के सामने भली–भांति रख सके। जिसके प्रयोग से चतुर और मूर्ख दोनों प्रकार के विद्यार्थी ज्ञान ग्रहण कर सकें। शिक्षा शास्त्रियों ने अध्यापकों की सहायता के लिए कुछ शिक्षण सूत्रों का निर्माण किया है, जिनकी उपयोगिता अनुभव द्वारा सिद्ध हो चुकी है। इन सूत्रों के द्वारा शिक्षक को अपने कार्य में सफलता मिलती है, बालक सरलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आरम्भ में नवीन शिक्षकों को शिक्षण कार्य में कठिनाईयाँ उक्त सूत्रों के अनुसरण से दूर हो जाती हैं। नवीन शिक्षकों को इन सूत्रों के आधार पर शिक्षण कार्य आरम्भ करना चाहिये।

**अध्ययन का सीमांकन–**

प्रस्तुत विषय के लिए शोधकर्त्ता ने जनपद मेरठ के प्राथमिक विद्यालयों को लिया है। इसमें कार्यरत 100 प्रशिक्षित एवं 100 अप्रशिक्षित अध्यापकों का न्यादर्श लिया गया है।

**शिक्षण प्रणालियाँ**

शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, बालकों को पाठ में रूचि उत्पन्न करने के लिए तथा पाठ्य सामग्री को स्पष्ट करके बालकों को हृदयांगम कराने के लिए शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। अध्यापकों को अपने शिक्षण कार्य में इनके प्रयोग से अभूतपूर्व सहायता मिलती है। प्रस्तुत शिक्षण प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं।

- व्याख्या प्रणाली
- स्पष्टीकरण प्रणाली
- वर्णन प्रणाली
- विवरण प्रणाली
- तुलना प्रणाली
- कथा प्रणाली
- व्याख्यान प्रणाली
- पुस्तक पठन प्रणाली।

**प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य–**

- प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण क्षमता का अध्ययन करना।
- प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण क्षमता का अध्ययन करना।
- प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण क्षमता का लैगिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन करना।
- प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित अप्रशिक्षित अध्यापकों के अनुभव के आधार पर उनकी शिक्षण क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित अप्रशिक्षित अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी शिक्षण क्षमता का अध्ययन करना।

**परिकल्पना का निर्माण–**

समस्या का उचित रूप से विश्लेषण करके उसे सावधानी पूर्वक परिभाषित करके ही परिकल्पना का निर्माण होना चाहिये। परिणाम ज्ञात करने से पूर्व निम्न परिकल्पनाओं को अपने शोध का आधार बनाया है–

- प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं है।
- प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित अध्यापक एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं है।
- प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अनुभव के आधार पर उनकी शिक्षण क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं है।
- प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी शिक्षण क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं है।

**शोध की आवश्यकता एवं महत्व–**

प्रशिक्षण के माध्यम से अध्यापक में आत्म–विश्वास पूर्ण रूप से उत्पन्न हो जाता है और वह अपने विाय को बालकों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है क्योंकि शिक्षण कार्य हितकर पद्धतियों से परिचित होता है। यदि अध्यापक अप्रशिक्षित होगा तो उसे नौकरी से भी हटाया जा सकता है लेकिन प्रशिक्षित होने के कारण उसे नौकरी से हटाना मुश्किल होता है। शिक्षण कार्य में वैज्ञानिकता, नवीनता, मनोवैज्ञानिकता और औचित्य लाने के लिए अध्यापकों की सुरक्षा करने के लिए अध्यापक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाए तथा सेारत अध्यापकों की विविध सुविधाएँ प्रशिक्षणार्थ प्रदान की जाये।

**निष्कर्ष–**

शिक्षा विभाग क आदेशानुसार प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं। सरकार ने अपने तथा व्यक्तिगत प्रयासों से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का विकास किया और आगे के लिए भी प्रयासरत है। शिक्षालयों में नवीन शिक्षण पद्धतियाँ लागू की जा सके तथा शिक्षा सिद्धान्त शिक्षण अभ्यास के साथ स्थापित किया जा सके। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रयास है। जिसे विकास की दृष्टि से समय के अनुसार संशोधित और किसित करते रहना चाहिये। अब यह आवश्यकता महसूस की जाती है कि शिक्षा के नवीन शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान प्रदान कराने वाले केन्द्र खोले जाये। शिक्षकों के लिए सदैव प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती है क्योंकि प्रशिक्षण के माध्यम से उनके पढ़ने के नये–नये तरीके तथा विषय को अधिक रोचक बनाने में किन साधनों का उपयोग करना चाहिये, आदि बातें दिखाई जाती हैं जिससे कि वे अपनी अध्ययन कला में निपुण हो सकें और एक सफल तथा योग्य अध्यापक बन सकें।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची–**


- शर्मा, एस.के. (2005) ट्रेंड्स ऐंड थॉट्स इन एजुकेशन, शोध प्रपत्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, वॉल्यूम 7, पृ. 13–17.
- कार्टर्स, एन,एन,जे,आर (2017): सोशल क्लास एनालिसिस एण्ड कन्ट्रोल ऑफ पब्लिक एजूकेशन। हार्वर्ड एजूकेशन रिव्यू, 23, 265–82.
- कॉल, लोकेश (2022), "मैथडोलौजी ऑफ ऐजुकेशन रिसर्च", विकास हाऊस, प्राइवेट लिमिटेड।
- कुमार, प्रमोद (2014): पर्सनालिटी स्टडी ऑफ स्टुडेन्ट लीडरशिप। प्रकाशित पी.एच.डी. थीसिस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। .
- कुमारी ऊषा एवं पाण्डेय सीमा (2016) ''उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के व्यक्तित्व विकास हेतु शिक्षकों का योगदान'', जे0ए0एस0आर0ए0ई0, वाल्यूम–11, इश्यू–22, पृ0 110–113
- पाण्डे, एम० (2005): कोरिलेशन बिटविन एकेडमिक एचीवमेन्ट एण्ड इन्टेलीजेन्स ऑफ क्लास 9 स्टूडेन्स्टस एज्यूट्रक, वाल्यूमन० 5
- डॉ. माथुर, एस.एस. (2019): "शिक्षा मनोविज्ञान", प्रकाशकः विनोद पुस्तक मन्दिर, कार्यालयः रांगेय राघव मार्ग, आगरा–2, मुद्रणः कैलाश प्रिटिंग प्रेस।
- डॉ. वर्मा प्रसाद, कामता (2017), "शिक्षा मनोविज्ञान", प्रकाशक दोआब हाऊस, दिल्ली, मुद्रक मित्तल प्रिन्टर्स, शाहदरा।
- चैमेरो, टोमस और फर्नहेम एड्रीन (2020): पर्सनेल्टी ट्रेट्स एण्ड एकेडमिक एक्जामिनेशन परफोरमेन्स, यूरोपियन जर्नल ऑफ पर्सनेल्टी 2020 (मई–जून) वोल्यूम–17 (3), 237–250.
- जोशी, एम.सी. (2021): सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण (ए टेस्ट ऑफ जनरल मेन्टल एबिलिटी) वाराणसी, रूपा साइकोलोजिकल सेन्टर। .

- जैन जयन्ती आर. (2020): ए स्टडी ऑफ द सेल्फ कान्सेप्ट ऑफ एडोलिसेन्ट गर्ल्स एण्ड आइडेन्टिफिकेशन विथ पैरेन्ट एण्ड पैरेन्ट सब्स्टीटयूट्स एज, कान्ट्रीब्यूटिंग टू रियलाइजेशन ऑफ एकेडमिक गोल्स। पी. एच.डी., एजूकेशन, नागपुर, यूनिवर्सिटी, फिथ सर्वे ऑफ एजूकेशनल रिसर्च, पृ. – 887.
- अग्रवाल, वी. (2019): वैल्यू सिस्टम एण्ड डायमेन्शन्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स ऑफ यू.पी.। डाक्टोरल थीसिस, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उद्धृत, एम.बी. बुच द्वारा संपादित ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन, सेन्टर ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजूकेशन, बड़ोदा।